not come under this scheme. This is actually in contradiction to what had been declared in the Budget.

In fact, I have moved a Privilege Motion. I do not know the fate of that Privilege Motion because nothing has been said so far. The reply which has been given to the hon. Speaker also is very vague. For example, about long-term loans on or before 01.01.97, the hon. Minister has given a note to the hon. Speaker stating that the loans which are already 10 years old will be provisioned by that time. How can it be provisioned? There are loans which are pending. For example, loans taken for cash crops like Rubber, Coffee and Tea are for 14 to 15 years and the repayment itself starts, in some cases, after 10 years. It does not get provisioned. I think, the matter has to be re-looked into. The Government should come forward to clear the contradiction and help the farmers who are now out of this scheme. Thank you.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Sabarkantha): Sir, I would like to draw the attention of the Government towards the plight of thousands of mid-day meal workers who are working in different school establishments preparing meal for the school children. Since many years the persons who are running the mid-day meal scheme are getting Rs. 500, the cook is getting Rs. 250/- and the cleaner is getting a sum of Rs. 125/-. Their wages have not been revised for more than 10 years. Many of the State Governments, like Tamil Nadu and Gujarat, were running this scheme before the Central Government began supporting this scheme. Recently the wages of the *Anganwadi* workers have been increased to Rs. 500/- in many of the States. Day before yesterday I requested the Union Government to pay their increased salary along with their dues from the month of April onwards. Since now the wages of the Anganwadi workers have been increased, I demand that the wages for the mid-day meal workers, who prepare meals for school children should also be doubled, that is, those who are getting Rs. 500/-, it should be enhanced to Rs. 1000/-, those getting Rs. 250/-, their wages should be enhanced to Rs. 500/- and those getting Rs. 125/-, their wages should be enhanced to Rs. 250/-.

Sir, one more point that I would like to raise is that the hon. Finance Minister has made a statement here

that the total amount involved in loan waiver is Rs. 65,000/-. It may be about Rs. 71,000/- crore. I understand that there is still Rs. 6,000/- crore left with the Government and it should have gone as loan waiver.

I suggest to the Government that the Mid-Day Meal workers in this country should be given a wage rise or their remuneration should be increased. Using this amount, since it is lying safely with the Government, the wages of workers may be increased. It may not be an increase of more than Rs. 1000 crore at the most for the entire country.

I request the Union Government to look at this issue sympathetically and see to it that the Mid-Day Meal workers in the country get an increased remuneration. In fact, they should be immediately, or as early as possible, given this wage increase.

श्री मुंशी राम (बिजनौर): उपाध्यक्ष महोदय, गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों से संबंधित समस्या के बारे में मैं यहां अपनी बात रखना चाहता हूं। देश में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में गन्ने के माध्यम से सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन किया जाता है। उ.प्र. की तुलना में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर पैदावार ड्योढ़ी और दुगुनी है। भारत सरकार ने जो मिनिमम समर्थन मूल्य दे रखा है, वह भी इतना कम है और कृषि मूल्य आयोग ने जो बनाया था, सरकार ने न तो आयोग की बात को माना है और न ही कृषि वैज्ञानिक डा. स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट को माना है, उस पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है तथा बिना इस बात को सोचे विचारे कि किसान को गन्ना उत्पादन करने में कितनी लागत आती है और उसे क्या मूल्य मिलना चाहिए भारत सरकार ने अपना मिनिमम समर्थन मूल्य 81 रुपये 18 पैसे दे रखा है, लेकिन उसका नुकसान उ.प्र. में निजी चीनी मिल मालिकों के साथ प्रदेश सरकार की मिलीभगत के कारण गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को उठाना पड़ रहा है। वर्ष 2007-08 में प्रदेश सरकार ने 125 और 130 रुपये मूल्य जो पहले से चला आ रहा था, उसे निर्धारित किया था लेकिन उच्च न्यायालय ने और भिन्न-भिन्न बेन्चेज ने अलग-अलग तरह के आदेश दिये हैं, कहीं 86 रु. प्रति क्विंटल का आदेश दिया और कहीं 100 रु. प्रति क्विंटल का आदेश दिया है और कहीं 110 रु. प्रति क्विंटल दिये जाने का आदेश दिया है। उन आदेशों के तहत जो गन्ना उत्पादन करने वाले किसान हैं और जो सरकार ने मूल्य निर्धारण किया था, प्रदेश सरकार ने उसकी पैरवी पूरी नहीं की, लिहाजा अदालतों से भिन्न-भिन्न प्रकार के मूल्यों का निर्धारण हुआ है। उत्तर प्रदेश

[Shri Munshi Ram]

सरकार की नीयत इसलिए साफ नहीं है क्योंकि जितनी भी कोआपरेटिव और सहकारिता की चीनी मिलें हैं, उनका भी जो मूल्य प्रदेश सरकार ने घोषित किया है, वह मूल्य भी गन्ना उत्पादक किसानों को नहीं दिलाया। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं? आप यह बताइए। आपकी क्या मांग है? आप यह बताएं।

...*(व्यवधान)*

श्री मुंशी राम: सर, मेरी एक बात सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत साफ नहीं है कि गन्ना उत्पादक किसानों के लिए उनके मूल्य का निर्धारण किया जाए। इसके साथ-साथ मुरादाबाद मंडल की गन्ना रिजर्वेशन की मीटिंग होती है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं? आप यह बताएं।

...*(व्यवधान)*

श्री मुंशी राम: उपाध्यक्ष जी, मैं इस बात की मांग करता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो मूल्य निर्धारित किया है, उस मूल्य निर्धारण करने में उन्होंने पैरवी अदालतों में हाई कोर्ट में सही नहीं करने से भारत सरकार और प्रदेश सरकार उच्चतम न्यायालय जाए और जो उच्च न्यायालय से आदेश हुए हैं, उनको निरस्त कराएं। वर्ष 2007-08 और वर्ष 2008-09 में जो मूल्य सरकार ने निर्धारित किया है, डा. स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार वह मूल्य कम से कम 160 रुपये और 165 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को दिया जाना चाहिए, यही मेरी भारत सरकार से मांग है। धन्यवाद।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के संज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में जालौन में केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत खेत का पानी खेत में रहे, इसके तहत तालाब खोदे गये थे। उन तालाबों के मानक अनुसार वे दस फुट गहरे, बीस फुट चौड़े और तीस फुट लम्बाई में खोदे गये थे। उसकी खुदाई के बाद पोलीथिन बिछानी थी, उसके बाद बैरिकेटिंग करनी थी, फिर वृक्षारोपण करना था। जब तालाब की खुदाई की जानी थी, तो छोटे-छोटे किसान जिनके पास एक या दो एकड़ जमीन थी, वह कृषि योग्य नहीं रही है। किसान उमसें न तो फसल बो सक़ता है और न वृक्षारोपण ही कर सकता है और न ही अन्य किसी योजना के द्वारा अपनी फसल पैदा कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान के खेत के आधार पर उसकी जीविका चलती थी लेकिन आज वह भूखों मरने की स्थिति में पहुंच गया है। इस कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कठोन ब्लाक के सैकड़ों किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जिन तालाबों की मानक के आधार पर खुदाई नहीं हुई है, उस मामले की जांच कराई जाये। जिस समय यह योजना लागू की गई थी, उस योजना के अनुसार उन्हें जो सामान मिलना चाहिए था, पौलिथीन मिलना चाहिए था, बैरिकेटिंग तार मिलना चाहिए था, वृक्षारोपण किया जाना चाहिए था जिससे वह अपनी जीविका चला सकता था, उसे ये चीजें प्राप्त नहीं हुई हैं।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि किसानों को उसका मुआवजा दिया जाये और जिन किसानों की थोड़ी जमीन चली गई है, वहां देश के मानक के अनुसार वहां तालाब खुदवाये जायें या उसकी भरपाई की जाये ताकि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके।

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश के 15 करोड़ डी-नोटिफाइड डोमेन ट्राइब्स जो विमुक्त और घुमन्तरु समाज कहलाते हैं, की ओर दिलाना चाहता हूं। भारत सरकार ने इन लोगों के लिये एक कमीशन बालकृष्ण आयोग बनाया था जो नेशनल डिनोटिफाइड डोमेन कमीशन कहलाया। इस कमीशन की रिपोर्ट 2 जुलाई को सरकार के पास आ गई है। इस रिपोर्ट के बाद कुछ ऐसे तथ्य तथा ऐसी बातें सामने आयी हैं कि ऐसे 6 करोड़ लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है और वे शिक्षा से वंचित हैं। इन लोगों की जिन्दगी एस.सी.एस.टी. लोगों से भी बदतर हो रही है। यह सोचने की बात है कि 1949-50 में एंगार कमेटी इनके लिये बनायी गई थी। उन लोगों के लिए बाद में लोकूर कमेटी आयी। उसके बाद जस्टिस वैंकटचलैया की अध्यक्षता में कांस्टीट्यूशन रिव्यु कमेटी बनायी गई। उसने रिव्यु किया और रिपोर्ट में कहा गया कि इस विमुक्त समाज के लिए जितनी भी रिपोर्ट आई है, सरकार ने उनकी अनदेखी की है। आज इस समाज में डर पैदा हो गया है कि जो 15 करोड़ लोग हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी डिमांड क्या है और आप सैंट्रल गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं?